माननीय ए. एल. बहम और वी. के. बाली, जे. के सामने

जे. अश्विन टी,-याचिकाकर्ता।

बनाम

वित्तीय आयोग, हरियाणा और अन्य-उत्तरदाता

1991 की सिविल रिट याचिका *संख्या* 13804

7 जुलाई, 1992

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद-सिविल *प्रक्रिया* संहिता, *1908*- ओ. 1, आर. 10 *और* ओ. 22, आर. 4 -*रिट याचिका* दायर *करने* से *पहले मरने वाले व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधियों को आरोपित करने के लिए आवेदन-मसौदा तैयार करने में* प्रामाणिक गलती-याचिका *कि ओ. 1, आर. 10 के तहत ऐसा* आवेदन *बनाए* रखने *योग्य नहीं है और ऐसा आवेदन केवल* ओ. 22, आर. 4 के *तहत* अनुमेय *है जो सीमा* द्वारा *वर्जित है-मान्य नहीं है-एक बार मसौदा तैयार करने वाले* व्यक्ति द्वारा *की गई गलती* खंड *21 (1) सीमा अधिनियम का प्रामाणिक प्रावधान है।*

माना जाता है कि हमारा विचार है कि वर्तमान रिट याचिका दायर करके पक्षों का ज्ञापन तैयार करने में, इस न्यायालय *में दायर* करने के लिए याचिका का मसौदा तैयार करने वाले द्वारा एक सदाशयी गलती की गई है।हालाँकि, यह आम जानकारी की बात है कि पार्टियों का ज्ञापन तैयार करते समय, नामों को पार्टियों की श्रृंखला से उठाया जाता है जैसा कि आदेशों में दिखाया गया है जिन्हें विवादित किया जाना है।हम, किसी भी तरह से, यह नहीं मानना चाहते हैं कि इस तरह की प्रथा को हमेशा अपनाया जाना चाहिए और नवीनतम स्थिति का पता लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन निर्धारण के लिए सवाल यह है कि क्या *यह* सदाशयी गलती के संरक्षण के तहत आ सकता है या नहीं।इसे निश्चित रूप से लापरवाही का कार्य कहा जा सकता है, लेकिन यह उस प्रकार का नहीं है जिसके परिणामस्वरूप राहत से इनकार किया जाना चाहिए और गुण-दोष पर नागरिक निर्णय से इनकार किया जाना चाहिए जो एक

गारंटीकृत अधिकार है, चाहे वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक वैधानिक अपील या रिट हो।एक बार जब याचिका का *मसौदा तैयार* करने वाले द्वारा की गई गलती को एक प्रामाणिक गलती माना जाता है तो तुरंत सीमा अधिनियम 1963 की खंड 21 (1) का प्रावधान लागू हो जाएगा।

(पैरा 4)

अभिनिर्धारित किया गया कि प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता के तर्क के ऊपर जो कहा गया है, उसके आलोक में कि किसी व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधियों को आरोपित करने के लिए एक आवेदन जो रिट याचिका की स्थापना से पहले मर गया था, सिविल प्रक्रिया संहिता के *ओ. 1, आर. 10* के तहत सक्षम नहीं होगा और ऐसा आवेदन जो केवल सिविल प्रक्रिया संहिता के *ओ. 22 आर. 4* के तहत अनुमेय है, समय द्वारा वर्जित किया जाएगा।

(पैरा 5)

अभिनिर्धारित किया गया कि सी. सिविल प्रक्रिया संहिता के *ओ. 1, आर. 10* के तहत दायर आवेदन, इस प्रकार, सक्षम है। हालाँकि, भले ही मामला संहिता के *ओ.22, आर. 4* में निहित प्रावधानों के भीतर आता है, लेकिन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम पहले ही मान चुके हैं कि कांसी राम के कानूनी प्रतिनिधियों को शामिल नहीं करने की गलती वास्तविक गलती के कारण हुई थी *और यदि* ऐसा है तो सीमा अधिनियम की खंड 21 (1) के प्रावधान को आकर्षित किया जाएगा।

(पैरा 6)

एच. एस. हुड्डा, रवि वर्मा के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्तायाचिकाकर्ता *के लिए।*

5 से 8 प्रतिवादीओं की *ओर से एल.* एन. *वर्मा,* अधिवक्ता

आदेश

वी. के. बाली, जे.

(1) यह आदेश सिविल रिट याचिका संख्या 13804/91 में 1992 के सिविल विविध संख्या 2454 और 1991 की सिविल रिट याचिका संख्या 13806 में 1992 के सिविल विविध संख्या 2457 का निपटान करेगा क्योंकि दोनों में तथ्य के सामान्य प्रश्न शामिल हैं। हालाँकि, तथ्य सिविल विविध 1992 की संख्या 2454 से निकाले गए हैं।

(2) मुख्य रिट याचिका में याचिकाकर्ता दिनांक आदेश 16 नवंबर, 1979, 3 मार्च, 1981, 24 मार्च, 1989 और 30 अगस्त, 1990 को रद्द करने की मांग करता है जो क्रमशः सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, कलेक्टर आयुक्त और वित्तीय आयुक्त द्वारा लाधु राम और कांसी राम पुत्रों मैम राज, के आवेदन के माध्यम से पारित किए गए हैं जिसमे याचिकाकर्ता की जमीन खरीदने के लिए, जिसे एक बड़ा भूमि मालिक बताया गया है, पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर्स एक्ट, 1953 के प्रावधानों के तहत अनुमति दी गई थी| यह पूर्वोक्त आदेशों को चुनौती देने वाली रिट याचिका की लंबितता के दौरान है कि वर्तमान सिविल प्रक्रिया संहिता की ओ. 1, आर. 10 के तहत आवेदन दायर किया गया है, ताकि कांसी राम के पुत्रों दलीप सिंह, भूप सिंह, महाबीर और राम चंदर के साथ-साथ कांसी राम की विधवा श्रुजी देवी और शिमला, पार्वती और लीला वती बेटियों को भी पक्षकार बनाया जा सके। रिट याचिका में कांसी राम को पक्षकार (प्रतिवादी) बनाया गया। अन्य सिविल विविध में भी, प्रार्थना उन्हीं व्यक्तियों को प्रतिवादी के रूप में शामिल करने की है। याचिकाकर्ता-आवेदक का मामला यह है कि कांसी राम के कानूनी प्रतिनिधियों को पहले रिकॉर्ड पर नहीं लाया जा सका क्योंकि उनके नाम वित्तीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश की प्रति में नहीं थे और इस तरह

यह गलती अनजाने में और वास्तविक थी।

(3) उत्तरदाताओं संख्या 5 से 8 तक आवेदनों का जोरदार विरोध किया गया है। प्रारंभिक आपत्ति के माध्यम से, यह कहा गया है कि इस तरह की राहत के लिए आवेदन, यानी, उस व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधियों को जोड़ने के लिए जो रिट की स्थापना से पहले मर गए थे सिविल प्रक्रिया संहिता के ओ.1, आर. 10 के तहत याचिका की अनुमति नहीं है, और सिविल प्रक्रिया संहिता के ओ. 22, आर. 4 में कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए उचित प्रावधान का सहारा नहीं लिया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता के ओ. 22 आर. 4, क्योंकि आवेदक को यह अच्छी तरह से पता था कि परिसीमा की दलील पर इसे सफलतापूर्वक चुनौती दी जाएगी। आगे कहा गया है कि खरीद आवेदन उत्तरदाताओं के पिता लाधु राम और मृतक कांसी राम द्वारा संयुक्त रूप से दायर किया गया था और यह संयुक्त आदेश है जिसे कलेक्टर, आयुक्त, वित्तीय आयुक्त और इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है और चूंकि कांसी राम के उत्तराधिकारियों के खिलाफ इस न्यायालय में दायर याचिका अमान्य है, इसलिए वह चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं के खिलाफ भी आगे नहीं बढ़ सकती है। गुण-दोष के आधार पर, यह दलील दी गई है कि यद्यपि जवाब देने वाले प्रतिवादियों के वकील ने 12 नवंबर, 1991 को कांसी राम की मृत्यु के तथ्य को इस न्यायालय के ध्यान में लाया था, फिर भी आवेदन 27 फरवरी, 1992 के बाद दायर किया गया था और वह भी स्थगन की मांग करके. यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता-आवेदक को अच्छी तरह से पता था कि कांसी राम की मृत्यु आयुक्त के समक्ष पुनरीक्षण याचिका के लंबित रहने के दौरान हुई थी क्योंकि न केवल प्रतिवादी संख्या 2 बल्कि आवेदक ने स्वयं 25 जुलाई 1984 को एक आवेदन दायर किया था। उक्त न्यायालय के समक्ष कांसी राम के पुत्रों में से एक को पक्षकार बनाने की अनुमति के लिए। उत्तरदाताओं की स्पष्ट प्रार्थना आवेदन को खारिज करने की है।

(4) पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि वर्तमान रिट याचिका दायर करके पक्षों का मेमो तैयार करने में, इस न्यायालय में दायर करने के लिए याचिका का मसौदा तैयार करने वाले व्यक्ति द्वारा एक

सदाशयी गलती की गई है। वित्तीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश से यह स्पष्ट है कि भले ही कांसी रम का नाम उनके एक बेटे दलीप सिंह द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था जैसा कि स्वयं उत्तरदाताओं का मामला है, फिर भी पार्टियों की श्रेणी में जैसा कि आदेश में दर्शाया गया है वित्तीय आयुक्त, कांसीराम का नाम, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, उल्लेख मिलता है। यह सच है कि कांसी राम की मृत्यु वर्ष 1983 में हो गई थी और यह तथ्य आवेदक को ज्ञात था क्योंकि उन्होंने स्वयं आयुक्त के समक्ष अपने एक कानूनी प्रतिनिधि के साथ अपना नाम प्रतिस्थापित करने के लिए आवेदन किया था। हालाँकि, यह सामान्य ज्ञान की बात है कि पार्टियों का मेमो तैयार करते समय, पार्टियों के नामों को उन आदेशों से उठाया जाता है, जैसा कि उन आदेशों में दिखाया गया है, जिन पर आपत्ति जताई जानी है। हम किसी भी तरह से यह नहीं मानना चाहते कि इस तरह की प्रथा को हमेशा अपनाया जाना चाहिए और नवीनतम स्थिति का पता लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन निर्धारण का प्रश्न यह है कि क्या यह सदाशयी गलती के संरक्षण में आ सकता है या नहीं। इसे निश्चित रूप से लापरवाही का कार्य कहा जा सकता है, लेकिन यह उस प्रकार का नहीं है जिसके परिणामस्वरूप राहत से इनकार किया जाना चाहिए और योग्यता के आधार पर एक नागरिक के फैसले से इनकार किया जाना चाहिए, जो एक गारंटीकृत अधिकार है, चाहे वह वैधानिक अपील हो या संविधान के तहत रिट हो । एक बार जब याचिका का मसौदा तैयार करने वाले व्यक्ति द्वारा की गई गलती को सदाशयी गलती मान लिया जाता है तो परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 21(1) का प्रावधान तुरंत लागू हो जाएगा। धारा 21 इस प्रकार चलती है:--

> *"(1) जहां किसी मुकदमे की स्थापना के बाद, एक नया वादी या प्रतिवादी प्रतिस्थापित किया जाता है या जोड़ा जाता है, तो उसके संबंध में मुकदमा तब स्थापित किया गया माना जाएगा जब उसे एक पक्ष बनाया गया था: बशर्ते कि जहां न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि नए वादी या प्रतिवादी को शामिल करने की चूक सद्भावना में की गई गलती के कारण हुई थी, वह निर्देश दे सकता है कि ऐसे वादी या प्रतिवादी के संबंध में मुकदमा किसी भी पहले की तारीख में शुरू किया गया माना जाएगा।*

(2) उप-सेकंड में कुछ भी नहीं। (1) उस मामले पर लागू होगा जहां किसी मुकदमे के लंबित रहने के दौरान किसी हित के असाइनमेंट या हस्तांतरण के कारण एक पक्ष को जोड़ा या प्रतिस्थापित किया जाता है या जहां एक वादी को प्रतिवादी बनाया जाता है या एक प्रतिवादी को वादी बनाया जाता है।"

(5) ऊपर जो कहा गया है, उसके आलोक में, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील का तर्क है कि रिट याचिका की स्थापना से पहले मर चुके व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधियों को पक्षकार बनाने का आवेदन सिविल प्रक्रिया संहिता के ओ.1, आर. 10 के तहत सक्षम नहीं होगा और इस तरह के आवेदन को केवल सिविल पीसी के 0.22, आर. 4 के तहत अनुमति दी जा सकती है, इसमें समय की बाधा होगी, इसका कोई मतलब नहीं होगा। अपने उपरोक्त तर्क के लिए विद्वान वकील ने *" जोगिंदर सिंह बनाम कृष्ण लाल"* , एआईआर 1977 पंजाब और हरियाणा 180" पर भरोसा किया है, लेकिन हमारे विचार में उपरोक्त रिपोर्ट में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश आरएस नरूला द्वारा दिया गया निर्णय मामले का समर्थन नहीं करता है। उत्तरदाताओं का हमारे सामने उठाए गए सटीक प्रश्न पर, मुख्य न्यायाधीश ने इस प्रकार कहा (पृष्ठ 184 पर):

"चाहे इस प्रकार का संशोधन संहिता के ओ.1 आर.10(2) की आड़ में किया गया हो या धारा 153 के तहत न्यायालय में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया हो, मेरी राय में इससे कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों में से किसी भी मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया समान होगी और दी जाने वाली राहत भी किसी भी भौतिक विवरण में भिन्न नहीं होगी। इस प्रकार के मामले में जो किया जा सकता है वह मृत व्यक्ति का नाम काट देना है जो संभवतः पार्टियों की श्रेणी में नहीं रह सकते हैं और यदि कानून ऐसे मृत व्यक्ति के नाम के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति का नाम रखने की अनुमति देता है जो मृत व्यक्ति के स्थान पर मुकदमे में उचित पक्ष पाया जाता है, चाहे वह हो ओ.1 आर.10 के तहत किया गया है जो निश्चित रूप से ऐसी किसी घटना के लिए प्रदान

करता प्रतीत होता है या धारा 153 के तहत किया गया है जो स्पष्ट रूप से ऐसी स्थिति को कवर करता है, यह केवल शैक्षणिक हित है और हमें आगे हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है।

(6) सिविल प्रक्रिया संहिता के ओ.1, आर. 10 के तहत दायर आवेदन, इस प्रकार, सक्षम है। हालाँकि, भले ही मामला सिविल पीसी के ओ.22, आर.4 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत आता हो, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम पहले ही मान चुके हैं कांसी राम के कानूनी प्रतिनिधियों को पक्षकार न बनाना सदाशयी गलती के कारण था और यदि ऐसा है तो परिसीमा अधिनियम की धारा 21(1) का प्रावधान लागू होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने "*रामप्रसाद दगडुराम बनाम विजय कुमार मोतीलाल, एआईआर 1967 एससी 278*" में इस प्रकार टिप्पणी की (पेज 284 पर):

"न्यायालय के पास मुकदमे के किसी भी चरण में एक नया वादी जोड़ने की शक्ति है, और धारा 22 जैसे वैधानिक प्रावधान की अनुपस्थिति में मुकदमा नए वादी द्वारा उस समय शुरू किया गया माना जाएगा जब यह पहली बार शुरू किया गया था . लेकिन धारा 22 की नीति इस परिणाम को रोकने के लिए है, और धारा का प्रभाव यह है कि मुकदमे को नए वादी द्वारा शुरू किया गया माना जाना चाहिए जब उसे एक पार्टी बनाया जाता है, देखें रामसेबुक बनाम रामलाल कूंडू ,(1881) आईएलआर 6 कैल 815 । इस कानून की कठोरता को भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 21(1) के प्रावधान द्वारा कम कर दिया गया है , जो संतुष्ट होने पर न्यायालय को एक नए वादी या एक को शामिल करने की चूक से सक्षम बनाता है। नया प्रतिवादी सद्भावना में की गई गलती के कारण था, यह निर्देश देने के लिए कि ऐसे वादी या प्रतिवादी के संबंध में मुकदमा किसी भी पहले की तारीख पर शुरू किया गया माना जाएगा।"

(7) इस आदेश से अलग होने से पहले, हम, हालांकि, यह देखेंगे कि याचिका का मसौदा तैयार करते समय जो लापरवाही बरती गई है, उसे पूरी तरह से माफ नहीं किया जाना चाहिए, खासकर तब जब कांसी राम की मृत्यु वर्ष 1983 में हो

गई थी और यह तथ्य आवेदक के ध्यान में था। कम से कम 1984 में उन्होंने स्वयं आयुक्त के समक्ष कांसी राम के कानूनी प्रतिनिधियों में से एक को पार्टी (प्रतिवादी) के रूप में शामिल करने के लिए एक आवेदन दिया था। लापरवाही के परिणामस्वरूप मामले को अनावश्यक रूप से लंबा खींचना पड़ा जो स्पष्ट रूप से एक प्रतिद्वंद्वी के लिए उत्पीड़न है। इस प्रकार, आवेदनों को रुपये के भुगतान के अधीन अनुमति दी जाती है। प्रत्येक मामले में खर्चे के रूप में 300/- रु.| मामला अब 20-7-1992 को मोशन सुनवाई के लिए आएगा।

जे एस टी।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मयंक गुप्ता
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चरखी दादरी

इससे पहले माननीय ए. पी. चौधरी और जे. बी. गर्ग, जे. जे.

जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए हरियाणा राज्य बोर्ड-याचिकाकर्ता।

बनाम

मेसर्स जय भारत वूलेन फिनिशिंग वर्क्स, पानीपत और *अन्य-उत्तरदाता।*

सीआरएल। 1986 की अपील *सं.* 123-डी. बी. ए.

24 सितंबर, 1991।

प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 1974-एस. 25, 26, 43। 44, 49, 50-दंड प्रक्रिया संहिता, *(1914 का द्वितीय)-अभियोजन-खाली भूमि पर व्यापार अपशिष्ट का निर्वहन-नमूना आई. एस. 2490-धारा 378 (5) के अनुरूप नहीं पाया गया।* उच्च न्यायालय में अपील *दायर करने के लिए सीमा निर्धारित करना-छह महीने की सीमा प्रदान की गई है जहां शिकायतकर्ता सरकारी कर्मचारी है और अन्य मामलों में 60 दिन-बोर्ड द्वारा स्थापित शिकायत-बोर्ड एक लोक सेवक नहीं है-60 दिनों से अधिक* दायर *अपील जो सीमा द्वारा* वर्जित *है f* हालांकि, सीमा *अधिनियम की धारा 5 378 (4)* के तहत अपील पर लागू होती है।